राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत–शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, द्वितीय तल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
email: director.sanskrit@gmail.com

क्रमांकः– निसंशि / भर्ती अनुभाग / अध्यापक / अर्थना–2016 / 4512 दिनांकः 6/2/2018

संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, अध्यापक लेवल द्वितीय सीधी भर्ती–2017

विषय– अध्यापक लेवल द्वितीय भर्ती–2017 के लिए जारी विज्ञापन संख्या 02 / 2017–18 दिनांक 05.02.2018 में विज्ञापित विज्ञान व गणित विषय के पदों के संबंध में स्पष्टीकरण।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 19 की अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लियें विज्ञान व गणित को एक ही इकाई मानकर विज्ञान–गणित का कॉमन पद निर्धारित किया गया है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आरटीई एक्ट के अंतर्गत आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में विज्ञान–गणित को एक इकाई मानकर परीक्षा आयोजित की गई / करवाई जा रही हैं।

संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय हेतु विज्ञापन संख्या 02 / 2017–18 दिनांक 05.02.2018 जारी कर गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

इस विज्ञापन में विज्ञापित अध्यापक लेवल द्वितीय के विज्ञान–गणित के पदों को एक ही इकाई मानकर पद विज्ञापित किये गये हैं। अध्यापक लेवल द्वितीय की विज्ञान–गणित की भर्ती के लिए विज्ञापित पद हेतु उक्त वर्णित स्थितियों के अनुसार विज्ञान व गणित दोनों विषय वर्ग के योग्यताधारी आशार्थी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 5.1 (B) के अनुसार आवेदन करने के पात्र होंगे तथा विज्ञान–गणित अध्यापक पद हेतु कॉमन वरीयता तैयार की जायेगी।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर

ब्लॉक नं.6, द्वितीय तल डॉ.रा.कृ.शि.संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांक : निसंशि / भर्ती अनुभाग / अध्यापक / अर्थना / 2016 / 4474 दिनांक 06/02/2018

विज्ञापन सं. 2 / 2017-18

अध्यापक– द्वितीय लेवल (गणित–विज्ञान, अंग्रेजी) सीधी भर्ती –2017

आवेदन की अन्तिम तिथि 08.03.2018

अनुसूचित क्षेत्र (TSP) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) के लिए अध्यापक लेवल–द्वितीय (कक्षा 6–8) गणित–विज्ञान / अंग्रेजी सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

1. राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम,2015 के भाग –4 में किये गये सीधी भर्ती के प्रावधानों एवं समय समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान द्वारा अध्यापक द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 (गणित–विज्ञान, अंग्रेजी) के 571 पदों पर सीधी भर्ती 2017 के लिए अनुसूचित क्षेत्र (TSP) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) के लिए निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Onlion Application Form) आमंत्रित किये जाते है।
अनुसूचित क्षेत्र (TSP) एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP) की रिक्तियों का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा–निर्देश विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध हैं। WWW.rajsanskrit.nic.in वेबसाईट पर दिनांक 07.02.2018 से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

सामान्य सूचना– उच्च प्राथमिक (गणित–विज्ञान, अंग्रेजी) विद्यालय अध्यापक द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 की सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET) या (REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.7(1)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा,परन्तु अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के संबंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2015 एवं RTET 2011 व 2012 की तीनों वर्षो की परीक्षाओं में से जिसमें अधिकतम प्राप्तांक हैं उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत लिया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से राज्य स्तरीय वरीयता सूची (Merit List) बनाई जाकर भर्ती की जायेगी।

विशेष नोट–

(1) ऑनलाईन आवेदन पत्र (Onlion Application Form) में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् उस आवेदन के क्रम में आवेदित पद एवं आवेदित श्रेणी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) विज्ञापित पदों में कमी या बढोतरी की जा सकती है, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

(3) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(4) एक बार ऑनलाईन आवेदन Submit होने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त भरे हुये आवेदन पत्र का प्रिन्ट (हार्ड कॉपी) एवं रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखें।

(5) विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 5.1(B)के अनुसार स्नातक परीक्षा में आवेदित पद का ऐच्छिक (Optional) विषय होना अनिवार्य है।

(6) विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 5.1(C) आवेदित विषय में रीट /आरटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(7) राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET 2011,RTET 2012 REET 2015) में से अधिकतम प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत लिया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी।

(8) यदि किसी आशार्थी ने स्नातक ऐसे अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण की है तथा अभ्यर्थी उसी विषय के लिये आवेदन कर रहा है तो शैक्षिक योग्यता अंकों का प्रतिशत निकालते समय स्नातक के प्राप्तांकों के साथ अतिरिक्त विषय के प्राप्तांकों का योग सहित कुल प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिये मान्य होंगे।

(9) चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता की स्नातक उपाधि की परीक्षा के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिये मान्य होंगे।

(10) आवेदक यह ध्यान दे कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के Preview को आवेदन Submit न माने।

(11) कृपया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेवे। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे।

(12) यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक द्वितीय स्तर (कक्षा 6–8) के लिये एक से अधिक विषयों में निर्धारित योग्यता धारित करता है तथा अलग–अलग विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे विषयवार पृथक–पृथक आवेदन मय पृथक–पृथक शुल्क भरना होगा।

(13) आवेदक द्वारा द्वितीय स्तर में एक विषय में एक से ज्यादा आवेदन पत्र भरने पर अन्तिम आवेदन पत्र मान्य होगा।

(14) किसी भी परिस्थिति में आवेदक का ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. **ऑनलाइन आवेदन प्रकिया–** उच्च प्राथमिक लेवल द्वितीय (गणित–विज्ञान, अंग्रेजी) विद्यालय अध्यापक पद के लिये सीधी भर्ती हेतु आवेदन ऑनलाईन विभाग की वेबसाईट www.rajsanskrit.nic.in पर उपलब्ध लिंक पर Click कर SSO ID एवं Password से Login करेंगे। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है ऐसे आवेदकों को पहले Not a Registered user link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करना होगा। SSO ID से Login कर Recruitment Portal लिंक से ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। आवेदक आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से भर सकते हैं अथवा आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकता है। आवेदन पत्र भरने वाले प्रत्येक आवेदक (चाहे आवेदक स्वयं ऑनलाईन करें या ई–मित्र से ऑनलाईन करावें) को निर्धारित तिथियों में आवेदन शुल्क + रूपये 26/– जमा कराना होगा। ऑनलाईन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

3. **आरक्षण – नियुक्ति के समय आरक्षण का प्रावधान इस विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 08 पर उल्लेखित है।**

4. वेतनमान – **राजस्थान** सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 16 के अनुसूची (iv) के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/– देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 17 की अनुसूची–I भाग 'ख' के अनुसार पे मेट्रिक्स के लेवल–10 में वेतन रूपये 33800 एवं नियमानुसार भत्ते देय होगें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.01.2004 के अनुसार नयी भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना का प्रावधान है।

5. **अध्यापक– लेवल–2 (गणित–विज्ञान, अंग्रेजी) सीधी भर्ती –2017 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताऐं –**

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उपधारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 एवं 29.07.2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम,2015 की अनुसूची II एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों के अन्तर्गत उल्लेखित अध्यापक लेवल–2 (गणित–विज्ञान, अंग्रेजी) सीधी भर्ती –2017 में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम योग्यताएँ एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिये निम्नानुसार होंगे –

5.1 (A) **अध्यापक (गणित–विज्ञान, अंग्रेजी)स्तर – द्वितीय (कक्षा 6–8 तक)**

स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)
Graduation and 2-year Diploma in Elementry Education (by whatever name known).

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.).

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो

Graduation with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulation issued from time to time in this regard.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementry Education (B.El.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A./B.Sc.Ed. or B.A. Ed./B.Sc.Ed.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एकवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

Graduation with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education. (B.Ed.) (Special Education).

तथा

5.1(B) (1)गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में गणित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

For the teacher of Mathematics, the candidates must have passed Graduation or equivalent examination with Mathematics as an optional sujbect.

(2) विज्ञान के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो–बायोलोजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायो–टैक्नोलोजी) और जैव रसायन विज्ञान (बायो–केमिस्ट्री), में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

For the teacher of Science, the candidate must have passed Graudation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from among Chemistry, Physics, Botany, Zology, Micro-Biology, Bio-technology and Bio-Chemistry.

(3) अंग्रेजी अध्यापक के लिए अभ्यर्थी के वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी भाषा विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

For the teacher of ENGLISH, the candidates must have passed Graduation or equivalent examination with corresponding Language as an optional sujbect.

(4) अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. अर्थात् 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता के साथ स्नातक हो और वह अर्हता परीक्षा तत्संबंधी विषय के साथ भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

The Candidate who has Gruaduated in elementry education (B.El.Ed) or B.A. B.Ed./B.Sc.B.Ed. i.e. a candidate with the qualification of four years integrated course, must also have passed the qualifying examination with the corresponding subject.

तथा

5.1(C) आवेदित विषय में RTET /REET उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए

Must have passed the RTET /REET in the subject applying for.

स्पष्टीकरण:—उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET) या (REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना कमांक F7(1)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के संबंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।

5.2 <u>अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम</u> — इस अधिसूचना के सन्दर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता—प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी. एड. (विशेष शिक्षा) के लिये केवल भारतीय पुनर्वास परिषद्(आरसीआई) के द्वारा मान्यता—प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापक हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी।

5.3 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2011 के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)ई.ई/प्लान/2011 दिनांक 17 जून, 2011 के अनुसार निम्न अभ्यर्थी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2017 में भाग लेने हेतु पात्र होंगे—

(i) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 27.09.07 जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता नहीं है।

(ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 27.09.07 जारी होने के बाद परन्तु अधिसूचना दिनांक 31.08.09 के जारी होने से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।

(iii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 31.08.09 के जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त होने की बाध्यता है।

5.4 5.1 (A) में वर्णित योग्यता मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास/विशेष योग्यजन के अर्हक अंको में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। माननीय राज.उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 10162/2012 राजरानी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 की पालना में विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं में 5 प्रतिशत छूट के संबंध में डीबी सिविल रिट सं. 1022/2013 में उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित निर्णय के अध्यधीन उनका चयन रहेगा किन्तु अंतिम निर्णय होने तक उनकी नियुक्ति नहीं की जावेगी।

5.5 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है वे भी राजस्थान राज्य के अन्य अभ्यर्थियों के समान ही पात्र होंगे।

5.6 अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) से पूर्व प्रशैक्षिक योग्यता (शिक्षा शास्त्री/बी.एड/समकक्ष) अर्जित होना अनिवार्य है।

5.7 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएँ (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक) अर्जित करना अनिवार्य है।

6. नियुक्ति हेतु निरर्हता –

I. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संताने है, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 1 जून 2002 को थी, में वृद्धि न हो। परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संताने जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संताने एक समझी जावेगी।

II. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

III. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है। सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है। इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

IV. यदि अभ्यर्थी – (a) अच्छे चरित्र का नहीं है, या (b) किसी भी अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

नोट – उपरोक्त तथ्यों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह विभागीय/कानूनी कार्यवाही का स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. नियुक्ति हेतु आयु सीमा :–

राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम,2015 के नियम 15 के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार निर्धारित आयु –

आयु :– आवेदक 1 जुलाई, 2018 को अध्यापक पद के लिए–न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 35 वर्ष का नहीं हुआ हो।

(i) उपरोक्त उल्लेखित उपरी आयु सीमा को –

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों की महिला अभ्यिर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक

(ग) अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, और पिछडे वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(ड.) विधवाओं और विवाह–विच्छिन महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण – विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह–विच्छिन होने के मामले में नियमानुसार तलाक का सबूत देना होगा।

(च) राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार इसके प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास तथा एससी/एसटी के विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।

(ii) उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के लिए आयोग या, यथा स्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के समय उपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे।

(v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हो, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

(vii) 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(viii) राज्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी, और

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का /की नहीं हुआ /हुई है।

<u>नोट</u>:–उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से ix तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी **(Non-Cumulative)** है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम् आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। 1 से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

8. आरक्षण प्रावधान :–

(i) उपरोक्त पदों में अ.जा./अ.ज.जा./नॉन क्रिमीलेयर अ.पि.व./मोर बैकवर्ड क्लास/विशेष योग्यजन/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाडियों/महिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं सहित) व बारां जिले के सहरिया आदिम् जाति का नियमानुसार आरक्षण देय होगा। राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास के क्रिमीलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास के क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडी जाति/मोर बैकवर्ड क्लास के सभी आवेदक सामान्य अभ्यार्थियों के रूप में आवेदन कर सकते है।

स्पष्टीकरण :

(अ) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी 3 भर्ती वर्षों के लिये अग्रणित किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।

(ब) क्रिमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है अर्थात् क्रिमीलेयर में नहीं होने बाबत जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को जारी होने की तिथि से 3 वर्ष (अधिकतम) तक मान्यता दी जा सकती है।

(स) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर वरीयता के कम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

(ii) अध्यापक सीधी भर्ती में 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये तथा 2.00 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण दण्डवत होगा एवं अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग का है वह उसी में गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण :-

(क) भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थलसेना, जलसेना, वायुसेना के किसी भी रैंक में योद्धक या योद्धक-भिन्न के रूप में सेवा की हो और (अ) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत हुआ हो, या (ब) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर जो ऐसी सेवा के लिये निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोग्यता पेंशन प्रदान की गयी हो, या (स) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन में कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया, या जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात् या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति की सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवानिवृति उपादान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक, सैन्य सेवा के लिये निर्धारित निर्योग्यता वाले व्यक्ति, वीरता पुरस्कार विजेता प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित है।

(ख) अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेरित है जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी है, को जो स्वयं या यदि उनका जन्म 01 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 01 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे है।

(ग) "उत्कृष्ट खिलाडियों" से अभिप्रेत है और इसमे सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाडी जिन्होंने –

(अ) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या

(ब) इण्डियन स्कूल स्पोर्टस् फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या

(स) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नैशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या

(द) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

(iii) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये :–

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार निःशक्त अभ्यार्थियों का नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

(ब) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) होगा। अर्थात अभ्यर्थी जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडी जाति/मोर बैकवर्ड क्लास/सामान्य वर्ग) का होगा। उसे उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(स) विशेष योग्यजन आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित प्रक्रिया से प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निःशक्तता का प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

(य) विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने या किसी भी पर्याप्त कारण के पद भरा नहीं जा सकता हो, वहा ऐसी रिक्ति को अग्रनीत किया जावेगा, परन्तु पद सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।

(iv) राजस्थान की अन्य पिछडा वर्ग (OBC)/मोर बैकवर्ड क्लास (MBC) नॉन क्रीमिलेयर के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य वर्ग से भरा जावेगा।

(v) विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) रखे जाने का प्रावधान है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी ये महिला अभ्यर्थी है, उसी में समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण (अ) किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(नॉन क्रीमिलेयर)/मोर बैकवर्ड क्लास (नॉन क्रीमिलेयर) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से सामान्य प्रक्रियानुसार भरा जा सकेगा। अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं

आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग /मोर बैकवर्ड क्लास का नोन क्रिमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ब). महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) के लिये आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इस प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा. /अ.ज.जा./अपिव/मोर बैकवर्ड क्लास) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की वरियता प्राप्त अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(स). मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत् महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी है से ही भरे जावेंगे। राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

(vii) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17. 01.2013 के अनुसार भरा नहीं जाकर आरक्षित रिक्तियों को आगामी 3 भर्ती वर्षों के लिये अग्रणित किया जायेगा, यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐस वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नहीं किया जायेगा।

(viii) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास, भूतपूर्व सैनिकों एवं उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

(ix) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नॉन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत माने जायेंगे।

(X) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास/विशेषयोग्यजन का प्रमाण पत्र ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म में प्राप्ति की अन्तिम दिनांक से पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुये प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा, और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

9. <u>आवेदन शुल्क</u> – आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से जमा करा सकते है अथवा स्वयं के स्तर पर भी आवेदन पत्र भरकर एवं शुल्क ऑनलाईन जमा करा सकते है।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास के आवेदक हेतु रुपये 100/– (अक्षरे. एक सौ रुपये मात्र)

(ख) राजस्थान के नोन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग /मोर बैकवर्ड क्लास के आवेदक हेतु रुपये 70/– (अक्षरे. सत्तर रुपये मात्र)

(ग) राजस्थान के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रुपये 60/– (अक्षरे साठ रुपये मात्र)

नोटः–

i. राजस्थान राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति /पिछड़ा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित शुल्क देना होगा।

ii. यदि अभ्यर्थी द्वितीय लेवल में अलग–अलग विषय में भर्ती हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग–अलग विषय हेतु पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित शुल्क सहित करना होगा।

iii. अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि इस विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जाँच किये शुल्क जमा कराया जाता है तो इसे वापस नहीं लौटाया जायेगा।

iv. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.rajsanskrit.nic.in से डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूरी सावधानी के साथ भरें। त्रुटि रहित आवेदन हेतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन ऑनलाइन भरे जाने से पूर्व कच्चा आवेदन पत्र भरकर उसे जाँच कर अपने साथ रखे।

v. अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन में जो भाषा, विषय, श्रेणी, जन्मतिथि का चयन किया गया है, उसमें बाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

vi. आनलाईन आवेदन शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक 08.03.2018 है। अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में आवेदन करें।

<u>10. भर्ती प्रक्रिया :–</u>

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल–द्वितीय सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET) या (REET) में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य होगा परन्तु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक F.7(1)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area's) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अनिवार्य होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के संबंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) (RTET 2011 व 2012 एवं REET 2015) में से अधिकतम प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत लिया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी।

11. भर्ती हेतु योग्यता सूची (Merit List) की प्रक्रिया :–

1. **बिन्दु संख्या 10 के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता सूची में मेरिट** दशमलव के दो अंकों तक तैयार की जायेगी।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET/REET) (RTET 2011 व 2012 एवं REET 2015) में से अधिकतम प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं स्नातक परीक्षा में

कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत लिया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी।

नोट :– समान वरीयता (MERIT) प्राप्त करने वाले अर्थात् दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जन्मतिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जावेगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियाँ समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुये वरीयता निर्धारित की जायेगी।

12. अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

1. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे एवं अनुसूचित क्षेत्र (TSP) की रिक्तियों के लिए केवल अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
2. अभ्यर्थियों को उनके द्वारा RTET/REET परीक्षा/स्नातक परीक्षाओं के नामांक, उत्तीर्णांक एवं उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि की सूचना आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से देनी अनिवार्य होगी।
3. आनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक आनलाईन आवेदन भरे जा सकेंगे। रात्रि 12.00 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना विज्ञप्ति प्रकाशित होने के साथ ही समय सीमा में आवेदन करें।
4. आवेदकों द्वारा आनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही वरीयता सूची बनाई जावेगी। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जॉच नहीं की गई है। अतः इस सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों की जॉच के समय पात्र नहीं पाये/अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जावेगा।
5. शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19) गृह –13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
7. किसी भी प्रतियोगी /पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुयी है। इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
8. सभी आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिये।
9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.17 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जन जाति/ राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/ राजस्थान के मोर बेकवर्ड क्लास वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

13. **अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा –**

13.1 आवेदक द्वारा घोषणा –

मैं.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैंने राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम,2015 के संबंधित भर्ती नियमों के लिये निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित प्रतियोगी/पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान , जयपुर में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी। और 30 दिन में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी।

   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड–मरोड कर निदेशालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो निदेशालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होउँगा/होउँगी।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार NCTE की Guideliens व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता /रखती हूँ।
6. पिछडा वर्ग/मोर बेकवार्ड क्लास वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वैध अवधि का है।
7. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
8. मै डाउनलोड किया हुआ आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/दूँगी।
9. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
10. मैं इस तथ्य से भलि भांति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
11. मुझे यह जानकारी है कि मैं RTET/REET में पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (शिक्षा शास्त्री/समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती हेतु पात्र माना जाउँगा/जाउँगी।
12. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज में नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

स्थान:–......................

दिनांक ....

फोन नम्बर मय कोड : ....

मोबाईल नम्बर ....

13.2 आवेदक का शपथ पत्र

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र............. जाति........................ ...... निवासी .... व्यवसाय .... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 व संशोधित अधिसूचना 29 जुलाई 2011 एवं इस विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लिया है तथा मैं अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ।
- मैं नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताऐं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजो में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ–पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/जाऊँगी।
- मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में मैं अपना प्रतिवदेन निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत करूंगा/करूंगी। 30 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा किया जावेगा। इसमे किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिये एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम ....

स्वसत्यापन

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र............... जाति..................... .... निवासी .... व्यवसाय .... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम ....
मोबाईल नम्बर.........................

13.3 आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची –

सीधी भर्ती में अभ्यार्थियों से अपने मूल ऑनलाइन आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र तथा शपथ पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा करवाई जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से यथा समय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र.स.	दस्तावेज/प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न संख्या
1	मूल आवेदन–पत्र	
2	घोषणा पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ–पत्र(उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	प्रवेशिका/सैकण्डरी/समकक्ष की अंकतालिका व प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	
5	वरिष्ठ उपाध्याय/ सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष की अंकतालिका व प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	
6	शास्त्री/स्नातक/समकक्ष की अंकतालिका व डिग्री / प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	
7	बी.एड./समकक्ष की अंकतालिका व प्रमाण पत्र /डिग्री की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	जाति प्रमाण–पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./अनुसूचित क्षेत्र जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास) की प्रमाणित प्रति) जो कि पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। नोट – अन्य पिछड़ा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास के लिये वेध अवधि का प्रमाण पत्र हो।	
10	शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रामाणित प्रति) (Under clasuse(1) of section 2 of the Persons with disabilities (equal opportunities protection of Rights and Full Participation) Act. 1995	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	
12	तलाकशुदा/विवाह विछिन्न होने पर न्यायालय निर्णय /डिक्री की प्रमाणित प्रति।	
13	RTET 2011 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है तो)	
14	RTET 2012 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो ।)	
15	REET 2015 का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उत्तीर्ण की है तो ।)	
	कुल संलग्नकों की संख्या	

अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्प–लाइन तथा ई–मेल की सुविधा :

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9.30 से 6.00 बजे के मध्य निम्नलिखित हैल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं–

1.ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबधी – 0294–3057541

2.ऑनलाईन शुल्क जमा कराने संबधी– 0141–2221424, 2221425

e-mail support.emitra@rajasthan.gov.in

3.विज्ञप्ति हेतु– कार्यालय के दूरभाष 0141–2711898 पर कार्यालय समय एवं कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अध्यापक लेवल–द्वितीय (कक्षा 6–8) सीधी भर्ती के विज्ञापित होने वाले पदों का विषयवार एवं वर्गवार विस्तृत विवरण

अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी.) के लिये

क्र.सं.	विषय	कुल पद	सामान्य					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जन जाति					दण्डक्त आरक्षण				
					महिला					महिला					महिला			निःशक्तजन 3 प्रतिशत				
			कुल पद	सामान्य पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यकता	कुल पद	सामान्य पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यकता	कुल पद	सामान्य पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यकता	दृष्टिहीन B/LV	मूक बधिर	अस्थि विकृत	भूतपूर्व सैनिक 12.5	उत्कर्ष खिलाडी
1	विज्ञान –गणित	61	27	19	6	2	0	2	2	0	0	0	22	16	5	1	0	0	0	2	6	1
2	अंग्रेजी	16	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	7	5	2	0	0	1	0	0	2	0

कार्यालय, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अध्यापक लेवल–द्वितीय (कक्षा 6–8) सीधी भर्ती के विज्ञापित होने वाले पदों का विषयवार एवं वर्गवार विस्तृत विवरण

गैर अनुसूचित क्षेत्र (नॉन टी.एस.पी.) के लिये

क्र.सं.	विषय	कुल पद	सामान्य – कुल पद	सामान्य – सामान्य पुरूष	सामान्य – महिला – सामान्य	सामान्य – महिला – विधवा	सामान्य – महिला – परित्यकता	ओ.बी.सी. – कुल पद	ओ.बी.सी. – सामान्य पुरूष	ओ.बी.सी. – महिला – सामान्य	ओ.बी.सी. – महिला – विधवा	ओ.बी.सी. – महिला – परित्यकता	अनुसूचित जाति – कुल पद	अनुसूचित जाति – सामान्य पुरूष	अनुसूचित जाति – महिला – सामान्य	अनुसूचित जाति – महिला – विधवा	अनुसूचित जाति – महिला – परित्यकता	अनुसूचित जन जाति – कुल पद	अनुसूचित जन जाति – सामान्य पुरूष	अनुसूचित जन जाति – महिला – सामान्य	अनुसूचित जन जाति – महिला – विधवा	अनुसूचित जन जाति – महिला – परित्यकता	किशनगंज, शाहबाज एवं बारां जिले के सहरिया जन जाति – कुल पद	किशनगंज, शाहबाज एवं बारां जिले के सहरिया जन जाति – सामान्य पुरूष	किशनगंज, शाहबाज एवं बारां जिले के सहरिया जन जाति – महिला – सामान्य	किशनगंज, शाहबाज एवं बारां जिले के सहरिया जन जाति – महिला – विधवा	किशनगंज, शाहबाज एवं बारां जिले के सहरिया जन जाति – महिला – परित्यकता	एम.बी.सी. – कुल पद	एम.बी.सी. – सामान्य पुरूष	एम.बी.सी. – महिला – सामान्य	एम.बी.सी. – महिला – विधवा	एम.बी.सी. – महिला – परित्यकता	दम्भवत आरक्षण – निशक्तजन 3 प्रतिशत – दृष्टिहीन B/LV	दम्भवत आरक्षण – निशक्तजन 3 प्रतिशत – मूक बधिर	दम्भवत आरक्षण – निशक्तजन 3 प्रतिशत – अस्थि विकृत	दम्भवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 12.5	दम्भवत आरक्षण – उत्कर्ष खिलाडी
1	विज्ञान – गणित	420	215	161	43	17	4	90	63	19	7	1	68	48	14	5	1	51	36	10	4	1	1	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	13	53	8
2	अंग्रेजी	75	39	28	8	3	0	15	11	3	1	0	12	9	3	0	0	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	9	1